ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016 तक

<u>भाग-एक</u>

1 प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ,ग्राम पंचायत झिकली इच्छी , विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री इकबाल सिंह	22-01-10 से 21-01-16
2.	श्री विजय कुमार	22-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	12-03-12 से 31-05-13
2.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	01-06-13 से लगातार

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0 सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	5.2	खाता “ख” के ब्याज को खाता “क”में अन्तरित न किया जाना ।	0.46
2.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन ।	13.72
3.	8	निर्माण कार्यों पर अधिक खर्च करने बारे।	0.28
4.	9	औपचरिकता के बिना खरीद करने बारे ।	2.26
5.	10	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना ।	2.27

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी , विकास खण्ड काँगड़ा , तहसील व जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 **से** 31/03/2016 **के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही**, (**अनुभाग अधिकारी**) **द्**वारा **दिनांक** 16-06-2016 **से** 05-07-2016 **तक के दौरान पंचायत कार्यालय झिकली इच्छी में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह** 02 /14,02/15 **व** 08/15 **तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह** 10/13, 02/15 **व** 05/15 **का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदों में दिये गए हैं।**

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 **से** 3/16 **तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हिमाचल प्रदेश शिमला -** 171009 **को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या** : **112 दिनांक 05-07-16 द्वारा सचिव, पंचायत झिकली इच्छी से अनुरोध किया गया ।**

4 वितीय स्थिति

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 **से** 3/16 **के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार थी** :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के अवधि 4/13 **से** 3/16 **तक स्व स्त्रोत की वितीय स्थिति का विवरण** :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	34544	94824	129368	64686	64682
2014-15	64682	87112	151794	66006	85788
2015-16	85788	61838	147626	76588	71038

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के अवधि 4/13 **से** 3/16 **के अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है** :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	351930	4524262	4876192	4417938	458254
2014-15	458254	3344011	3802255	2846761	955504
2015-16	955504	3626475	4581979	3209528	1372451

स्व स्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग :- ₹14,43,489

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCC GAGGAL	2005805854	MNREGA	299
2.	IDBI KANGRA	78269542	SDP	34194
3.	KCC KANGRA	5005672104	IAY/AAY	546
4.	-------DO--------	20033022722	3rd state/GRDY/S.F/MP/12th 13th F.C	161438
5.	UBI GAGGAL	2010000528	VKVNY	4192
6.	----DO-------	2010001067	TSC	68865
7.	-----DO-------	2010000527	13th ,14th F.C	1177527
8.	-----DO-------	2010000526	SABHA FUND	8205
			कुल जमा राशि	**₹1455266**

बैंक समाधान विवरण :-

(क) **दिनांक** 31-3-16 **को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष** (1+2):- ₹1443489

(ख) **दिनांक** 31-3-16 **को बैंक में कुल जमा राशि** :- ₹1455266

(ग) **हस्तगत राशि** :- ₹344

(घ) कुल जमा :- ₹1455610

अन्तर :- (घ-क):- ₹12121

अन्तर का कारण :- **चैक संख्या** 516233 **दिनांक** 1-2-16 ₹**12121/- जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा** 2- 4-16 **को भुगतान किया गया ।**

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 **के नियम** 4 (1) **के अनुसार नियम** 3 **में दर्शाई बजट सहिंता संख्या** 01 **से** 50 **में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह, नियम-** 3 **में सहिंता संख्या** 51 **से** 99 **में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा**

और पंचायत निधि खाता -ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है । अत:नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध आठ बैंक बचत खातों का खोला जाना :- हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार आठ बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छेह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹ 0.46 लाख के ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है । परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है । निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु नहीं किया गया है । इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

खाता स०	**माह/वर्ष**						**कुल ब्याज**
	8/13	**2/14 या 3/14**	**8/14 या 9/14**	**2/15 या 3/15**	**8/15 या 9/15**	**2/16 या 3/16**	
2005805854	----	----	281	6	6	6	299
78269542	---	720	375	542	463	638	2738
5005672104	28	259	80	64	8	109	548
20033022722	6002	4316	3550	4739	5573	4491	28671
2010000528	---	---	----	----	59	83	142

2010001067	-----	---	----	664	5029	1672	7365
2010000527	----	-----	1225	1629	1498	1744	6096
कुल जोड़	**6030**	**5295**	**5511**	**7644**	**12636**	**8743**	**₹45859**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे :- हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस रजिस्टर को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

6 पंचायत राजस्व ₹ 0.53 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व -स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹ 0.53 लाख की वसूली शेष थी । जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या :-108 दिनांक 05-07-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवा दिया गया है । अत: उक्त बकाया राशि को वसूलने हेतु ठोस प्रयास किए जाएँ ।

1 ग्रहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	-	17775	17775	----	17775
2014-15	17775	17775	35550	350	35200
2015-16	35200	17775	52975	1950	51025

2 भवनों / दुकानों से किराया :-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	शून्य	6000	16000	15225	775
2014-15	775	6000	16775	14750	2025
2015-16	2025	6000	18025	15800	2225

7 **अनुदान ₹13.72 लाख का उपयोग न करना**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹13.72 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था ,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :109 दिनांक 05-07-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 **निर्माण कार्यो पर ₹ 27791 अधिक खर्च करने बारे**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों पर स्वीकृत राशि से ₹27791 अधिक खर्च किए गए । जोकि अनियमित था । लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव , ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा निम्नलिखित अधिक खर्च राशि को रसीद संख्या : 0296704 दिनांक 4-7-16 को अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दी गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है । भविष्य में निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि से अधिक राशि न खर्च की जाए व इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

क्र0 सं0	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ	स्वीकृत राशि / मूल्यांकित राशि/प्राप्त राशि	व्यय की राशि	अधिक खर्च
1.	2014 -15	जीप योग्य रास्ता सुरेन्द्र की दुकान से रोशन लाल के घर तक	5406 पृष्ठ 33 से 35	47558	50814	3256
2.	2015-16	जीप योग्य रोड अशवनी कुमार के घर के पास	5406 पृष्ठ 43 से 44	35000	46615	11615

3.	2015-16	**निर्माण कुहल प्रमोद की गौशाला से जमीन की और**	5406 **पृष्ठ** 45 **से** 47	49000	61920	12920
				कुल अधिक खर्च		**₹27791**

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.26 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 67(4) **व** 67 (5)**द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 2.26 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या** : 110 **दिनांक** 05-07-16 **द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: स्टॉक स्टोर का क्रय** नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधीकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही **स्टॉक स्टोर का क्रय** किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹ 2.27 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 69 **व** 72 (1)(**ए,बी,सी,व डी**)**के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म** 25 ,26 ,27 ,**व** 28 **में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि** 04/13 **से** 3/16 **तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 पर ₹ 2.27 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है । जोकि अनियमित था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या** : 110 **दिनांक** 05-07 -16 **द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।**

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 29 **से** 31 **के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया , जो कि अनियमित था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या**: 111 **दिनांक** 05-07-16 **द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में भी लाया जाता है । अत: नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।**

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**	**संदर्भित नियम**	**फर्म संख्या**
1.	**ग्रह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर**	33 **व** 77 (4)	10
2.	**मोबाइल टाबर रजिस्टर**		
3.	**चल-अचल सम्पति रजिस्टर**		
4.	**निर्माण कार्यों का रजिस्टर**	95 (1)	31
5.	**डाक टिकट रजिस्टर**	**61 (2)**	**24**
6.	**रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलन सारणी**	**15 (1)**	

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 73 **के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक** 6 **माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।**

13 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 93 (**ए**)(1) **के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।**

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 9 / 2016–खण्ड–1–5014–5017 दिनाँकः17.09.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट – 2 पैरा -9 के सन्दर्भ में

मनरेगा :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	112 , 10/13	179	बजरी, रेत ,सैटरिंग	42019
2.	113 , 10 /13	179	यथोपरि	43464
3.	114 से 123 दिनांक 7-10-13	180 व 181	साइन बोर्ड	10000
4.	86 , 02 /15	24	सैटरिंग व रेत (केवल दो निविदाएँ	30200
5.	87 , 2/15	24	बजरी व रेत (केवल दो निविदाएँ	43873
6.	20 , 5/15	38	सैटरिंग व रेत (केवल एक निविदाएँ	29626
7.	22 , 5/15	38	सैटरिंग व रेत (केवल एक निविदाएँ	26413
			जोड़	**₹225595**

परिशिष्ट -3 पैरा -10 के सन्दर्भ में

(क)स्व स्त्रोत + अन्यअनुदान

क्रम	वा० संख्या	रोकड़ बही पृष्ट	विवरण	राशि

संख्या	,माह/वर्ष	संख्या		
1.	69 , 10/13	164	21m3 **बजरी**, 11m3 **रेत**, 12.5m3 **बोल्डर पत्थर** ,	50900
2.	91 , 08 /15	63	**कम्पुटर मॉनिटर ,वायरलेस माउस,व** key **बोर्ड**	8390
			जोड़	**₹59290**

(ख) मनरेगा :-

क्रम संख्या	**वा० संख्या, माह / वर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**विवरण**	**राशि**
1.	112 , 10/13	179	20m3 **बजरी**, 15.915m3 **रेत** ,	33549
2.	113, 10/13	179	10m3 **बजरी**,14.23m3 **रेत**	27076
3.	135, 10/13	185	27.24m3 **बजरी**,13.85m3	39307
4.	136, 10 /13	185	10.25 m3 **रेत**	12300
5.	137, 10/13	185	13.50 m3 **रेत**	16200
6.	138, 10/13	186	9m3 **बजरी**,9m3 **रेत**	21600
7.	139, 10/13	186	8m3 **बोल्डर**	9600
8.	20, 05/15	38	7m3 **रेत**	7700
			जोड़	₹ 167332
			कुल जोड़ (क+ख)	**₹ 226622**

बैंक विवरण मन्दिर श्री राम गोपाल डमटाल 31-12-14 तक बचत राशि व हस्तगत राशि विवरण :-

क्रम स०	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	के.सी.सी डमटाल	20092019913	163947
2.	एस.बी.आई.डमटाल	1429569832	334922
3.	के.सी.सी.कन्दरोड़ी	20015015648	113828
4.	एस.वी.पी.कन्दरोड़ी	55100094011	27211
5.	एस.वी.पी.नूरपुर	55104358358	33792
6.	हि०प्र० ग्रामीण बैंक	8860101232139	351667
		कुल जोड़:-	1025367

हस्तगत राशि:- 1001